

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (बक्सर को छोड़कर)।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- पटना, दिनांक-21.10.2016
प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय
वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 19,67,00,000/- (उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख
रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-
जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में
व्यय के लिये कुल ₹ 19,67,00,000/- (उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के
अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
 12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
 13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
 14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (बक्सर को छोड़कर)।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- 2016
प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय
वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 19,67,00,000/- (उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख
रूपये) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक-

2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-
जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में
व्यय के लिये कुल ₹ 19,67,00,000/- (उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के
अनुसार आवंटित की जाती है।


2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
 12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
 13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
 14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2016 सा0-42...../ पटना, दिनांक-21/10/2016
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
1	2	13 01	13 02	13 03	13 04	28 01	28
	कूट संख्या -	14	15	16	17	25	
1	पटना	40,00,000	10,00,000	1,00,000	2,00,000	30,00,000	85,00,000
2	भोजपुर	5,00,000	4,00,000	45,000	7,00,000	8,00,000	202,95,000
3	कैमूर(भमुआ)	4,00,000	4,00,000	40,000	4,00,000	8,00,000	21,40,000
4	मुजफ्फरपुर	8,00,000	6,00,000	50,000	5,00,000	12,00,000	33,50,000
5	सीतामढ़ी	4,00,000	3,00,000	45,000	3,00,000	7,00,000	18,45,000
6	पूंचम्पारण	4,00,000	3,00,000	43,000	5,00,000	10,00,000	180,93,000
7	पंचम्पारण	4,00,000	3,00,000	43,000	4,00,000	8,00,000	20,43,000
8	शिवहर	3,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	4,00,000	11,30,000
9	वैशाली	5,00,000	3,00,000	40,000	3,00,000	4,00,000	16,40,000
10	दरभंगा	8,00,000	6,00,000	50,000	5,00,000	10,00,000	30,50,000
11	समस्तीपुर	5,00,000	3,00,000	50,000	4,00,000	8,00,000	21,50,000
12	सारण	5,00,000	3,00,000	40,000	5,00,000	10,00,000	24,40,000
13	सिवान	5,00,000	3,00,000	42,000	10,00,000	7,00,000	193,42,000
14	गोपालगंज	5,00,000	3,00,000	40,000	3,00,000	6,00,000	18,40,000
15	भागलपुर	8,00,000	6,00,000	60,000	8,00,000	8,00,000	212,40,000
16	बांका	4,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	4,00,000	13,40,000
17	मुंगेर	8,00,000	6,00,000	60,000	6,00,000	10,00,000	32,60,000
18	लक्खीसराय	3,00,000	1,00,000	30,000	3,00,000	3,00,000	11,30,000
19	जमुई	3,00,000	1,00,000	30,000	3,00,000	2,00,000	10,30,000
20	खगड़िया	8,00,000	6,00,000	60,000	4,00,000	12,00,000	33,60,000
21	बेगूसराय	5,00,000	3,00,000	40,000	4,00,000	6,00,000	19,40,000
22	पूर्णिया	8,00,000	6,00,000	60,000	3,00,000	12,00,000	31,60,000
23	कटिहार	5,00,000	3,00,000	50,000	5,86,000	8,00,000	139,86,000
24	अररिया	3,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	9,30,000
25	किशनगंज	3,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	3,00,000	11,30,000
26	सहरसा	8,00,000	6,00,000	60,000	6,00,000	10,00,000	32,60,000
27	मधेपुरा	4,00,000	3,00,000	40,000	2,00,000	4,00,000	14,40,000
28	सुपौल	3,00,000	2,00,000	30,000	4,00,000	4,00,000	14,30,000
29	औरंगाबाद	4,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	4,00,000	22,06,000
30	मधुबनी	4,00,000	2,00,000	40,000	3,00,000	8,00,000	19,40,000
31	रोहतास	4,00,000	2,00,000	50,000	8,00,000	8,00,000	160,00,000
32	नालंदा	8,00,000	6,00,000	1,00,000	6,00,000	12,00,000	224,00,000
33	गया	8,00,000	6,00,000	1,00,000	6,00,000	12,00,000	35,00,000
34	नवादा	2,00,000	1,00,000	50,000	2,00,000	5,00,000	11,50,000
35	जहानाबाद	2,00,000	1,00,000	40,000	2,00,000	8,00,000	14,40,000
36	अरवल	2,00,000	50,000	40,000	1,00,000	2,00,000	6,40,000
37	शेखपुरा	2,00,000	50,000	30,000	1,00,000	5,00,000	9,30,000
	कुल योग -	214,00,000	123,00,000	17,68,000	147,86,000	284,00,000	1967,00,000

(उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन)
आवंटन:-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय
1	2	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	10	06 01	11 01
3	5	6	8	9	12	13			
1	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0
2	भोजपुर	80,00,000	90,00,000	6,00,000	1,00,000	50,000	177,50,000	0	2,00,000
3	कैमूर(ममुआ)	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
4	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000
5	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
6	पूंचम्यारण	70,00,000	80,00,000	6,00,000	1,00,000	50,000	157,50,000	0	1,00,000
7	पंचम्यारण	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
8	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
9	बैशाली	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
10	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
11	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
12	सारण	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
13	सिवान	70,00,000	90,00,000	6,00,000	50,000	50,000	167,00,000	0	1,00,000
14	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
15	भागलपुर	80,00,000	90,00,000	7,00,000	2,00,000	80,000	179,80,000	0	1,00,000
16	बांका	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000
17	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
18	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000
19	जमुई	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
20	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
21	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	3,00,000
22	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
23	कटिहार	50,00,000	60,00,000	5,00,000	1,00,000	50,000	116,50,000	0	2,00,000
24	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
25	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
26	सहरसा	0	0	0	0	0	0	1,00,000	1,00,000
27	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000
28	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
29	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
30	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	8,66,000	1,00,000
31	रोहतास	60,00,000	70,00,000	5,00,000	1,00,000	50,000	136,50,000	1,00,000	1,00,000
32	नालंदा	80,00,000	100,00,000	7,00,000	2,00,000	1,00,000	190,00,000	0	1,00,000
33	गया	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
34	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000
35	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
36	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	कुल योग -	490,00,000	580,00,000	42,00,000	8,50,000	4,30,000	1124,80,000	10,66,000	45,00,000

contd....

18